राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एकल पीठ सिविल रिट याचिका संख्या 10254/2019

1. जय जगदम्बा पब्लिक स्कूल संस्थान, सचिव हेमंत पुत्र महेंद्र कुमार द्वारा आयु 28 वर्ष, पता-31, राजीव गांधी कॉलोनी, पाली मारवाड़ (राजस्थान)।

2. जय जगदम्बा उच्च माध्यमिक विद्यालय, 31, राजीव गांधी कॉलोनी जिला-पाली (राजस्थान)।

3. ओम प्रकाश पुत्र महेंद्र कुमार, आयु लगभग 38 वर्ष, जाति मेवाड़ा, हैडमास्टर, जय जगदम्बा उच माध्यमिक विद्यालय, 31, राजीव गांधी कॉलोनी, पाली मारवाड़ जिला पाली (राजस्थान)

----- याचिकाकर्ता

बनाम

1. न्यायाधीश, कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय, पाली, राजस्थान

2. उप निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, 1/3 और 1/4 पाल लिंक रोड, जोधपुर (राजस्थान)।

3. सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्थानीय कार्यालय-रेलवे स्टेशन के पास, पाली (राजस्थान)।

4. अधिकृत अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जयपुर (राजस्थान)।

5. भंवर लाल पुत्र विरदी चंद जी, आयु लगभग 70 वर्ष , जाति कलाल, 97, हिम्मत नगर, पाली मारवाड़, जिला पाली (राजस्थान)।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता (गण) के लिए : श्री पी. डी. बोहरा

उत्तरदाता(गण) के लिए : श्री अक्षत वर्मा

न्यायाधिपति श्रीमती रेखा बोराना

<u>आदेश</u>

<u>21/12/2022</u>

<u>रिपोर्टेबल</u>

वर्तमान रिट याचिका कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय, पाली द्वारा पारित दिनांक 24.05.2019 के आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता-स्कूल द्वारा दिए गए अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा दो प्रारंभिक आपत्तियां उठाई गई हैंः

(i) पहला, कि वर्तमान रिट याचिका कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (इसके बाद '1948 का अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 82 के संदर्भ में बनाए रखने योग्य नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने मोदी स्टील यूनिट-ए बनाम कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय (एस.डी.एम.) गाजियाबाद और अन्य (F.A.F.O 1980 का नं.827 और 828) के मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया।), जो 13.03.1984 को निर्णीत हुआ था।

(ii) दूसरा, कि याचिकाकर्ता-विद्यालय ने 1948 के अधिनियम की धारा 75 (2बी) की अनुपालना में वसूली राशि का 50% जमा नहीं किया, इसलिए याचिकाकर्ता को अदालत द्वारा नहीं सुना जा सकता था।

उक्त आपत्तियों का जवाब देते हुए, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जैसा कि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अब्दुल शकूर उमर साहिगारा एंड कंपनी बनाम क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (2004) 101 एफ. एल. आर. 1126 और कर्मचारी राज्य बीमा निगम बनाम फोर्स मोटर्स लिमिटेड (2008) 118 एफ. एल. आर. 526 के मामले में निर्धारित किया कि ,एक अंतर्वर्ती आदेश या प्रक्रियात्मक आदेश के खिलाफ अपील जो अंततः पक्षों के अधिकारों या

देनदारियों का निर्णय नहीं करती है, 1948 के अधिनियम की धारा 82 के संदर्भ में नहीं होगी और इसलिए, वर्तमान रिट याचिका इस न्यायालय के समक्ष बनाए रखने योग्य है।

जहाँ तक दूसरी आपत्ति का संबंध है, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता-स्कूल बाध्य है और 1948 के अधिनियम की खंड 75 (2 बी) के संदर्भ में अदालत के समक्ष मांगी गई राशि का 50% जमा करने के लिए तैयार है।

जहां तक वर्तमान रिट याचिका की स्थिरता का सवाल है, अब्दुल शकूर उमर साहिगारा के मामले (उपरोक्त) में, 'आदेश' शब्द की व्याख्या करते हुए, माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दियाः

> "उपरोक्त भेद की समझ के साथ यदि कोई यह प्रश्न करता है कि किस आदेश के खिलाफ धारा 82 के तहत अपील की जाती है, तो तार्किक उत्तर यह होगा कि यह ऐसे आदेश के खिलाफ है जो मुकदमा करने योग्य है जैसे कि यह एक दीवानी न्यायालय द्वारा मुकदमे में पारित एक डिक्री है।इसलिए, अधिनियम की धारा 82 के तहत एक अपील एक आदेश के खिलाफ होगी जिसमें एक डिक्री की विशेषताएँ हैं।इस तरह के आदेश केवल अधिनियम की धारा 75 के तहत पारित किए गए वे

आदेश हो सकते हैं जिनमें पक्षों के अधिकारों और दायित्वों के निर्धारण या निर्णय का भाव या एहसास होता है।मेरे विचार में, केवल ऐसे आदेशों को अधिनियम की धारा 82 के तहत अपील योग्य कहा जा सकता है और कोई अन्य नहीं।"

फोर्स मोटर्स लिमिटेड के मामले (उपरोक्त) में, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया हैः

"धारा 82 के तहत एक अपील एक प्रक्रियात्मक आदेश या एक अंतर्वर्ती आदेश के खिलाफ नहीं होगी जो अंततः पक्षों के अधिकारों या देनदारियों को तय नहीं करता है।"

1948 के अधिनियम की धारा 82 निम्नानुसार हैः

"82. अपील

(1) इस खंड में स्पष्ट रूप से प्रावधान किए जाने के अलावा, कर्मचारी बीमा न्यायालय के आदेश से कोई अपील नहीं होगी।

(2) कर्मचारी बीमा न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी यदि इसमें कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है।

(3) इस धारा के तहत अपील के लिए सीमा की अवधि साठ दिन होगी।

(4) 118 [सीमा अधिनियम, 1963] की खंड 5 और 12 के प्रावधान इस खंड के तहत अपीलों पर लागू होंगे।"

उपरोक्त प्रावधान के एक स्पष्ट अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय के आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी, सिवाय उनके जिनके लिए स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है।उक्त प्रावधान का एकमात्र अपवाद एक ऐसा मामला है जिसमें कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। स्पष्ट रूप से, वर्तमान आक्षेपित आदेश एक ऐसा आदेश है जिसके तहत अदालत द्वारा अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया गया है। यही अंत में पक्षों के अधिकारों और देनदारियों को तय नहीं करता है। यहां तक कि यह सवाल भी कि क्या 1948 के अधिनियम के प्रावधान स्वयं याचिकाकर्ता-स्कूल पर लागू होंगे, अंततः तय नहीं किया गया है। अन्य प्रश्न यह है कि क्या प्रतिवादी-निगम द्वारा उठाई गई मांग को कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद निर्धारित किया गया है, इस अवलोकन के साथ भी निर्णय नहीं लिया गया है कि पार्टियों के नेतृत्व में साक्ष्य के बाद ही इसका निर्णय लिया जा सकता है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि आक्षेपित आदेश अंततः पक्षों के अधिकारों और देनदारियों का निर्णय नहीं करता है और इसलिए फोर्स

मोटर्स लिमिटेड (उपरोक्त) में निर्धारित अनुपात को देखते हुए, इसके खिलाफ कोई अपील नहीं होगी और इसलिए, वर्तमान रिट याचिका बनाए रखने योग्य है।

जहां तक मोदी स्टील (उपरोक्त) के मामले में प्रतिवादियों के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए गए फैसले का सवाल है, यह सच है कि उक्त मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 1984 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि रोक, निषेधाज्ञा के आदेश के खिलाफ, एकतरफा रूप से पारित आदेश या चूक के लिए खारिज किए गए आवेदन को बहाल करने के लिए, धारा 82 के तहत अपील की जाएगी। लेकिन फोर्स मोटर्स लिमिटेड (उपरोक्त) और अब्दुल शकूर उमर साहिगारा (उपरोक्त) के मामलों में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित वर्षों 2004 और 2008 के बाद के फैसलों में, यह विशेष रूप से माना गया है कि इस तरह के आदेश के खिलाफ अपील 1948 के अधिनियम की धारा 82 के संदर्भ में नहीं होगी। ए. आई. आर. 1981 एस. सी. 1786 में रिपोर्ट किए गए **शाह बाबूलाल खिमजी बनाम जयाबेन डी. कनिया और एक अन्य** और **ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 864** में रिपोर्ट किए गए **ज्ञानोबा भाऊराव शेमोड बनाम मारौती भाऊराव मार्नर** के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करने के बाद दोनों मामलों में निर्णय पारित किए गए हैं। इसलिए, माननीय बॉम्बे उच्च

न्यायालय की राय के बाद, इस न्यायालय की यह भी राय है कि वर्तमान रिट याचिका इस न्यायालय के समक्ष बनाए रखने योग्य है।

चूँकि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने निचली अदालत में 50% राशि जमा करने पर सहमति व्यक्त की है, इसलिए उत्तरदाताओं के विद्वान वकील द्वारा उठाई गई दूसरी आपत्ति पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

जहाँ तक राशि का 50% जमा किए बिना अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए आवेदन के निर्णय का संबंध है, उसे गलत नहीं माना जा सकता है। जैसा कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने **राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड बनाम कर्मचारी राज्य बीमा निगम लिमिटेड और अन्य** (2003 के आदेश संख्या 2368 और 2008 के 1530 से प्रथम अपील, 11.03.2022 को निर्णय लिया गया), 50% की मांग करने वाले कानून के प्रावधान निर्देशिका हैं लेकिन धारा 75 (2बी) के प्रावधान अनिवार्य नहीं हैं। इसके अलावा, 1948 के अधिनियम में इस आशय का कोई प्रतिबंध नहीं है कि अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक आवेदन, जिसमें एक विशिष्ट प्रश्न उठाया गया है कि क्या कोई संस्थान 1948 के अधिनियम द्वारा शासित है, पर भी मांग की गई राशि के 50% की अग्रिम जमा राशि के बिना विचार और निर्णय नहीं किया जा सकता है।

जहाँ तक मामले की योग्यता का संबंध है, इस न्यायालय की राय में, याचिकाकर्ता-विद्यालय के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक विशिष्ट मुद्दा उठाया गया है कि यह 1948 के अधिनियम द्वारा शासित नहीं है और जब तक कि उक्त मुद्दे पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक मांगी गई राशि की वसूली पर रोक लगाई जानी चाहिए।

उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान रिट याचिका का निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ निपटारा किया जाता हैः

(1) कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय, पाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.05.2019 को निरस्त किया जाता है;

(2) याचिकाकर्ता-विद्यालय को वर्तमान आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर नीचे दिए गए न्यायालय में मांगी गई राशि का 50% जमा करने का निर्देश दिया जाता है;

(3) ऐसी जमा राशि की स्थिति में, याचिकाकर्ता-विद्यालय से मांगी गई राशि की वसूली 1948 के अधिनियम की धारा 75 के तहत विद्यालय द्वारा दायर मूल आवेदन के अंतिम निपटान तक रोक दी जाएगी; और

(4) यदि याचिकाकर्ता-स्कूल ऊपर बताए अनुसार मांगी गई राशि का 50% जमा करने में विफल रहता है, तो वर्तमान आदेश लागू नहीं होगा।

(रेखा बोराना), न्यायाधीश

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।